





उक्त योजना के लिए स्वीकृत कुल राशि 80.00 लाख रुपये में से अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 1.60 लाख (एक लाख साठ हजार) रुपये मात्र का व्यय मुख्य शीर्ष 2401-फसल-कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग सं०-1, उपशीर्ष 0154-एग्रीबिजनेस इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (वाह्य सम्पोषित परियोजना) विपत्र कोड-P2401007960154, विषय शीर्ष 31 06 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा के अधीन वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि 9.60 लाख रुपये से विकलनीय होगा।

4. कृषि विभागीय राज्यादेश संख्या-पी०पी०एम०-11/2013-2847 दिनांक 31.05.2013 तथा राज्यादेश संख्या-5469 दिनांक 04.11.2013 द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम एवं शर्तें यथावत रहेंगी। प्रशासी विभाग द्वारा योजना कार्यान्वयन के हित में यथावश्यक निर्णय लिया जा सकेगा।


5. स्वीकृत राशि की निकासी निदेशक उद्यान, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से आवश्यकतानुसार की जायेगी।

6. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.03.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या-96 वि० (2) दिनांक 03.01.2008 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में प्रधान सचिव, कृषि की स्वीकृति दिनांक 11.01.2017 को प्राप्त है। तत्संबंधी स्वीकृति संचिका संख्या-पी०पी०एम०-85/2016 के पृ०सं०-12/टि० पर प्राप्त है।

7. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।


8. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-पी०पी०एम०-85/2016 के पृ०सं०-15/टि० पर दिनांक 06.02.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
(सुधीर कुमार)  
प्रधान सचिव,


कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- पी०पी०एम०-85/2016 592 /क०, पटना, दिनांक 07-02-2017  
प्रतिलिपि:- योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
प्रधान सचिव,


कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- पी०पी०एम०-85/2016 592 /क०, पटना, दिनांक 07-02-2017  
प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
प्रधान सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- पी०पी०एम०-85/2016 592 /क०, पटना, दिनांक 07-02-2017  
प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव, बिहार, पटना/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव, बिहार, पटना/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/बजट एवं योजना शाखा, सचिवालय कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
प्रधान सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

